Impact of Fall in Rupee value on Budget Estimates

3767. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the reasons for the sudden fall in the value of rupee against US$ (dollars) in last three months;

(b) what will be its impact on the budget estimates for 1998-99;

(c) to what extent the fiscal deficit is likely to increase due to falll in the value of rupee; and

(d) what measures Government propose to take to arrest the fall in the value of rupee?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) The exchange rate of the rupee vis-a-vis the US dollar depreciated by about 7 per cent in the last three months from Rs. 39.48 per US dollar at the beginning of April 1998 to Rs. 42.47 at the end of June 1998. The exchange rate of the rupee is market determined and, to a large extent, the short-term, movements in the exchange rate reflect the market perceptions.

(b) and (c) The budget extimates for 1998-99 may be affected by the movements in the exchange rate of the rupee to the extent that the variations in the exchange rate affect imports during 1998-99 and therefore the customs revenue assumed in the budget. The variations in the exchange rate may also affect the rupee equivalent of interest payments on foreign loany&redits under external assistance assumed in the budget. It is, however, not possible at this stage to assess the year-end impact. The Government would endeavour to contain the fiscal deficit at the budgetted level by maximising non-debt receipts and controlling expenditure.

(d) The exchange rate of the rupee is market determined. The RBI monitors activities in the foreign exchange market with a view to ensuring orderly market conditions. The RBIs intervention operations, both in the spot and forward segments of the foreign exchange market are supplemented by monetary measures to contain sudden and large down-ward pressures that may result from swings in market perceptions and intensification of speculative factors.

Income Tax from PSUs

3768. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of Income Tax from PSUs during the last three years, year-wise;

(b) the details of income from employees of PSUs for the same period; and

(c) whether Government have any plan to raise a Task Force to recover the amount speedily and also simplify the procedures in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) Such information is not maintained. The collection and compilation of the desired information from the field formations spread all over the country will involve lot of efforts and also time, which may not be commensurate with the objectives sought to be achieved.

(c) There is no proposal at present to raise any Task Force to recover the amount due from PSUs. However, a Task Force has been constituted to constantly monitor the collection of Budget targets, and to review the progress of recovery of taxes.

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 के दौरान प्राप्त किये गये आवेदन

3769. **श्री दिलीप सिंह जुदेव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को 1989 के दौरान उद्योगों के पुनरुद्धार और नए सिरे से

आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) इनमें से कितने मामलों को स्वीकार कर लिया गया था और कितने मामलों को अस्वीकार कर दिया गया था;

(ग) क्या मैसर्स कन्सोलिडेटिड स्टील एंड एलायज लिमिटेड को उनसे पचास लाख रुपये जमा करा लेने के बाद भी उन्हें पुनः वित्त पोषण का लाभ नहीं दिया जा सका;

(घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निदेशों के बावजूद सेंट्रल बैंक द्वारा उक्त फर्म को ब्याज सहित राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं;और

(ङ) उक्त फर्म को जमा राशि पर ब्याज की राशि दिलाने एवं इसी प्रकार के अन्य मामलों के निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (वाइफर) ने बताया है कि उसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सीका) की धारा 15(1) के तहत 272 संदर्भ मिल थे, जिनमें से 188 मामले पंजीकृत किए गये थे तथा 84 मामलों में पंजीकरण नहीं किया गया था।

(घ) से (ङ) सीका के उपबंधों के अनुसार वाइफर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की थी। वाइफर ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को निर्देश दिया था कि कंपनी को 50 लाख रुपए लोटा दें। तथपि, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने वाइफर के निर्देशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (आइफर) में अपील दायर की थी। आइफर ने अपील रद्द कर दी थी। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि वाइफर के निदेशानुसार दिसम्बर 1997 में कंपनी को 50 लाख रुपए वापस कर दिए गए थे। बैंक ने यह भी बताया है कि चूंकि धनराशि "पुनर्ग्रहणाधिकार रहित खाते" में रखी गई थी, न कि "ब्याज वाले जमा खाते" में, अतः ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

CBI Enquiry against Ganpati Exports

3770. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any inquiry had been conducted by CBI and Directorate of Enforcement in respect of Calcutta based Ganpati Exports and Pashupati Acrcvliccs, New Delhi;

(c) whether action has been taken on the said report; and

(d) if so, the names of persons involved in the racket?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (d) Investigations have been taken up by the Enforcement Directorate against M^. Ganpati Exports, Calcutta and M/s. Pashupati Acryion Ltd., New Delhi for suspected violation of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

सहारा ग्रुप के पास जमा धनरशि

3771. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1998 के "दी इकोनामिक टाइम्स" में "आरबीआई प्रोब्स विग राइस इन सहारा डिपोजिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) और (ख) समाचार मद में बताया गया है कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लिमिटेड की जमाराशियों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत संवितरित निधियों के कारण है जो कंपनी को जमाराशियों के रुप में प्राप्त हो रही हैं।

(ग) अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लि. द्वारा धारित प्रतिभूतियों का केवल प्रत्यक्ष सत्यापन कराया था। अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों सहित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं की निधियों के स्रोत की किसी प्रकार की जांच का कार्य,